भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2644
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत राजसहायता और वित्तीय सहायता

2644. श्री शशांक मणिः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राजसहायता में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न पशुधन विकास कार्यकलापों में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को दी जाने वाली राजसहायता और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और किसानों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) जी हां। वित्तीय वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत एक कार्यकलाप राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि हुई है।

(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के अंतर्गत, व्यक्तिगत किसानों, संयुक्त देयता समूहों (JLG), स्वयं सहायता समूहों (SHG), और किसान उत्पादक संगठनों (FPO)/किसान सहकारी संगठनों (FCO)/धारा 8 कंपनियों को पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, गधे, घोड़े के फार्म और चारा इकाई की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। व्यक्तियों और संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी और वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	पशु आहार और चारा	बकरी और भेड़	सूअर पालन	पोल्ट्री	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	कुल सब्सिडी प्राप्त परियोजनाएं	कुल जारी सब्सिडी (करोड़ रूपये में)
व्यक्तिगत किसान	119	3131	338	205	3793	1879	389.82
संयुक्त देयता समूह (JLG)	2	36	1	0	39	16	3.63

स्वयं सहायता समूह (SHG),	0	0	0	1	1	1	0.09
सहकारी समितियां/FPO/ धारा 8 कंपनी	8	10	0	2	20	14	3.40
कुल योग	**129**	**3177**	**339**	**208**	**3853**	**1910**	**396.94**

(ग) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों और संगठनों हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

i. देश भर में आवेदकों के लिए सुगम्यता (accessibility) बढ़ाते हुए 'each of doing business' को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र की सुविधा हेतु एक ऑनलाइन एंड-टू-एंड डिजिटल पोर्टल (nlm.udyamimitra) तैयार किया गया है।
ii. प्रभावी और विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य ने परियोजनाओं के मूल्यांकन, निगरानी और सत्यापन की सुविधा के लिए एक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) निर्दिष्ट की है।
iii. परियोजना अनुमोदन, सब्सिडी संवितरण, ऋण संस्वीकृतियों और क्षेत्रवार कार्यान्वयन प्रगति पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
iv. बैंक संबंधी प्रश्नों के लिए सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (CLBCC) का गठन किया गया है।
v. जागरूकता पैदा करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने प्रचार कार्यक्रम/कार्यशालाएँ/सेमिनार आदि आयोजित किए हैं।
vi. सफलता की कहानियों का प्रकाशन।
vii. वित्त से संबंधित सभी प्रश्नों के समाधान और एनएलएम-ईडीपी से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क (nlm.support@sidbi.in) स्थापित किया गया है ।
viii. राज्य और बैंकों के साथ सतत निगरानी प्रणाली मौजूद है।

******